26.5.25 वकील करौली उपस्थित। पत्रावली पर पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थना-पत्र सामान्य प्रार्थना अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत RT रूल के तहत पंजीकृत विवादित आराजी खा० नं० 2026 मामला 2031 कुल क्षेत्रफल 6 कुल रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा. वाके कायम करने पर स्थगित आदेश जारी करके देने निवेदन किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दिनांक 29.7.15 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। पक्षकारों को नोटिस जारी करने का तलब किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः आदेश दिया जाता है कि पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.7.15 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद में निस्तारण तक आदेश मुलतवी रखा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.06.16 14:20:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)